न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव कार्यपालक मजिस्ट्रेट चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार योगी

वाद सं. 191 / 2016

उनवान

1. रामस्वरूप पुत्र विजय लाल कुमावत जाति कुमावत, निवासी ग्राम उदयपुरिया, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
2. श्री बजरंग लाल पुत्र श्री गुलाबचन्द कुमावत जाति कुमावत, निवासी बारावालों की ढाणी, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
3. विनोद कुमार पुत्र रामेश्वर जाति कुमावत, निवासी इन्द्रा कॉलोनी, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
4. रामकिशोर पुत्र सेडूराम, जाति कुमावत, निवासी थाना मोड, धोली मण्डी, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
5. मनोज कुमार पुत्र सेडूराम जाति कुमावत, निवासी थाना मोड, धोली मण्डी, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. सुवा लाल पुत्र ज्ञानचन्द, जाति कुमावत, निवासी यादवों का मौहल्ला, खटोडो के मौहल्ले के पास, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
2. विलास चन्द पुत्र जगदीश जाति दर्जी (टेलर) निवासी बसंत विहार, दौलतशाह बाबा की दरगाह के पास, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
3. श्यामसुन्दर पुत्र जगदीश, जाति दर्जी (टेलर) निवासी बसंत विहार, दौलतशाह बाबा की दरगाह के पास, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
4. शंकर लाल पुत्र बंशीधर, जाति कुमावत, निवासी धोली मण्डी, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
5. प्रहलाद पुत्र रामगोपाल निवासी भटटों की गली, तहसील आमेर, जिला जयपुर।
6. प्रवीण कुमार बुटोलिया पुत्र रमेश चन्द बुटोलिया जाति खटीक, निवासी बंसत विहार, दौलतशाह बाबा की दरगाह के पास, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
7. नाथ्या पुत्र बिरम
8. नारायण पुत्र घीसा
9. श्योलाराम पुत्र नारायण
10. भगवान सहाय पुत्र घीसा
    समस्त जाति अहीर, निवासी बसंत विहार, दौलतशाह बाबा की दरगाह के पास, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
11. मधू देवी पत्नी सत्यप्रकाश ताम्बी, जाति महाजन, निवासी बिहारी पार्क, बनीपार्क, जयपुर महानगर जयपुर।
12. शीतल प्रसाद पुत्र रामधन
13. ओमप्रकाश पुत्र रामधन
14. महेश पुत्र रामधन
15. राकेश पुत्र रामधन
    समस्त जाति, ब्राहम्ण, निवासी शर्मा मेडिकल हाल, एस0एम0एस0 अस्पताल के सामने, जयपुर महानगर जयपुर।
16. हरफूल पुत्र मोहन जोगी, जाति जोगी, निवासी ग्राम नांगल भरडा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
17. श्रीमति गुलाब देवी पत्नी नाथूराम, जाति प्रजापत, निवासी ग्राम सामोद, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

18. मंगली देवी पत्नी भगवान सहाय, जाति अहीर, निवासी बसंत विहार, दौलतशाह बाबा की दरगाह के पास, कस्बा चौमूं, तह0 चौमूं, जिला जयपुर।
19. नन्दकिशोर पुत्र भैरूलाल, जाति अहीर, निवासी हनुमान जी का रास्ता, रींगस रोड, कस्बा, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
20. संज्या पत्नी श्योलाराम, जाति अहीर, निवासी बान्या की ढाणी, ग्राम निवाणा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
21. सन्तोष देवी पत्नी गणपत लाल, जाति मीणा, निवासी, कृष्णा, कॉलोनी, पावर हाउस के पास, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
22. द्वारका पुत्र हरसहाय अग्रवाल (नाम हजफ)
23. केदारनाथ पुत्र हरसहाय अग्रवाल (नाम हजफ)
24. कन्हैया लाल पुत्र हरसहाय (नाम हजफ)
    समस्त जाति महाजन, निवासी अनाज मण्डी, राधा बाग, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।
25. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, चौमूं, तह. चौमूं, जिला जयपुर।
26. उपपंजीयक महोदय, चौमूँ, उपपंजीयन कार्यालय, तहसील चौमूँ, जिला जयपुर।
27. प्रकाश चन्द पुत्र द्वारका
28. राकेश कुमार पुत्र द्वारका
29. नरेश कुमार पुत्र द्वारका
30. सन्तोष गुप्ता पुत्र द्वारका
31. मीना अग्रवाल पुत्री द्वारका
32. बलदेव पुत्र केदारनाथ
33. सुनिल पुत्र केदारनाथ
34. आंची देवी पत्नी केदारनाथ
35. हेमलता पुत्री केदारनाथ
36. खुशबू पुत्री केदारनाथ
37. राजेन्द्र पुत्र कन्हैया लाल
38. मनोज पुत्र कन्हैया लाल
39. अनिल पुत्र कन्हैया लाल
40. श्रीमति कमला देवी पत्नी कन्हैया लाल
41. नीतू पुत्री कन्हैया लाल
    समस्त जाति महाजन, निवासी अनाज मण्डी, राधा बाग, कस्बा चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्थी, तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा</u>

निर्णय दिनांकः– 10.05.2017

पत्रावली पेश हुई। व.फ.उपस्थित। वादीगण ने वाद पत्र इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम चौमूं, पटवार हल्का चौमूं बी, भू0 अ0 नि0 क्षेत्र चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में हाल खाता संख्या 869 में वर्णित खसरा नम्बर 6915/7987 रकबा 0.81 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6916 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6971/7988 रकबा 0.49 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6717/7991 रकबा 0.05 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6918 रकबा 0.10 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6919/7989 रकबा 0.24 हैक्टेयर कुल किता 6 का कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर स्थित हैं। उक्त मद में वर्णित आराजीयात ही वाद पत्र में विवादग्रस्त हैं। जिसे की वाद पत्र के अग्रिम मदों में विवादग्रस्त आराजीयात के नाम से सम्बोधित किया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित विवादित आराजीयात कुल किता 6 का कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 1 सुवा लाल का 682 वर्गमीटर हिस्सा निहित था, जिसे प्रतिवादी सुवा लाल द्वारा जरिये पंजिबद्ध विक्रय पत्र के वादीगण से मुल्यवान प्रतिफल राशि पंजिबद्ध विक्रय पत्र में वर्णितानुसार प्राप्त कर दिनांक 25.04.2014 को विक्रय कर दी गई तथा इस बाबत प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.04.2014 को श्रीमान उप पंजियक महोदय चौमूं अर्थात प्रतिवादी संख्या 26 के समक्ष दो भिन्न भिन्न विक्रय पत्र वादीगण के हक में दिनांक 25.04.2014 को निष्पांदित किये गये। उक्त विक्रय पत्रों के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात में निहित स्वयं के हिस्से 682 वर्गमीटर हिस्से को मनबंट अनुरूप प्राप्त अपने हिस्से को विक्रय कर विक्रय भूमि का मौके पर वास्तविक कब्जा भी सुपुर्द कर दिया गया, जिस अनुसार वादीगण वर्तमान में विवादग्रस्त आराजीयात पर मनबंट अनुसार चौमूं से जयपुर जाने वाले मुख्य राजमार्ग के पूर्व दिशा की ओर पश्चिम में झांकते हुए भाग पर काबिज होकर अपने हिस्से की भूमि का आज दिवस तक निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं।

वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात को पूर्व समय से ही प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 व 27 ता 41 द्वारा आपस में मौके पर मनबंट अनुरूप विभाजन कर रखा है तथा सभी खातेदार अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज होकर तथा अपने हिस्से की भूमि के चारों ओर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल व सीमाये महदूद कर उपयोग उपभोग करते रहे हैं। उक्त मनबंट अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 दिनांक 25.04.2014 से पूर्व अपने हिस्से में आई भूमि जो कि चौमूं से जयपुर की ओर जाने वाले मुख्य राजमार्ग के पूर्व दिशा में पश्चिम मुखी भूमि के रूप में स्थित थी, पर काबिज होकर व चारों ओर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल बनाकर उपयोग उपभोग करता रहा। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा दिनांक 25.04.2014 को वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित आराजीयात में मनबंट अनुसार प्राप्त अपने हिस्से व विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में निहित अपने हिस्से की सम्पूर्ण भूमि को वादीगण को विक्रय कर मौके पर वास्तविक कब्जा सुपुर्द कर दिया गया तब से वादीगण विक्रय पत्रों दिनांक 25.04.2014 के जरिये विवादग्रस्त आराजीयात के क्रय शुदा अपने हिस्से पर काबिज होकर आज दिन तक निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 का विवादग्रस्त आराजीयात में अब कोई हक अधिकार निहित नहीं हैं, ना ही कब्जा ही हैं।

वाद पत्र की मद नम्बर 1 में वर्णित विवादग्रस्त आराजीयात का आज दिवस तक भी सभी खातेदारों के मध्य अर्थात् वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 व 27 ता 41 के मध्य विधिवत तौर पर किसी भी प्रकार से तकासमा नहीं हुआ है तथा विवादग्रस्त आराजीयात आज भी राजस्व रिकार्ड अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 21 व 27 ता 41 की संयुक्त कब्जे काश्त की खातेदारी भूमि हैं। इस प्रकार विवादग्रस्त आराजीयात का विधिवत तौर पर तकासमा ना होने के कारण विवादग्रस्त आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 21 व 27 ता 41 की संयुक्त कब्जे काश्त की आराजयात हैं जिस पर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 21 व 27 ता 41 अपने अपने हिस्से अनुसार मनबंट विभाजन अनुरूप काबिज होकर अपने अपने हिस्से का निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहें हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 व 27 ता 41 द्वारा विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्थ किये जाने व तकासमा किये जाने से साफ इन्कार कर दिये जाने के कारण वादीगण को कानूनी हक अधिकार प्राप्त हैं कि वह विवादग्रस्त आराजीयात

उपखण्ड अधिकारी
चौमूं, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

के दो भिन्न भिन्न विक्रय पत्रों दिनांक 25.04.2014 के जरिये क्रय शुदा अपने कुल हिस्से 682 वर्गमीटर का स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करवा कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड से हजफ करवा कर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर स्वयं का नाम विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात करवा कर तद्नानुसार विवादग्रस्त आराजीयात का मौके पर मनबंट अनुसार काश्त की प्राथमिकता के मध्यनजर तकासमा करवा कर विवादग्रस्त आराजीयात में निहित स्वयं के हिस्से 682 वर्गमीटर का पर्चा लगान अलग से कायम करवाने के कानूनन अधिकारी हैं।

वादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात के दो भिन्न भिन्न विक्रय पत्रों दिनांक 25.04.2014 के जरिये क्रय शुदा कुल हिस्से 682 वर्गमीटर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड से हजफ किया जाकर तद्नानुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्थ कर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर वादीगण का नाम विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राजात किया जाकर तद्नानुसार विवादग्रस्त आराजीयात का मौके पर मनबंट अनुसार कब्जे काश्त की प्राथमिकता के मध्यनजर तकासमा कर विवादग्रस्त आराजीयात में निहित वादीगण के हिस्से 682 वर्गमीटर का पर्चा लगान अलग से कायम किया जावें।

प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 व 25 ता 41 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 व 27 ता 41 विवादग्रस्त आराजीयात में निहित वादीगण के हिस्से पर जबरिया कब्जा नहीं करे, ना ही वादीगण को विवादग्रस्त आराजीयात में निहित उनके हिस्से के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में व्यवधान कारित करें, ना ही विवादग्रस्त आराजीयात के विशिष्ट भू–भाग का विक्रय, हस्तान्तरण ही करें, तथा प्रतिवादी संख्या 25 विवादग्रस्त आराजीयात के राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन परिवर्धन नहीं करें एवं प्रतिवादी संख्या 26 विवादग्रस्त आराजीयात बाबत अपने सम्मुख किसी भी विक्रय पत्र, हस्तान्तरण पत्र इत्यादि के अपने सम्मुख प्रस्तुत होने पर उसे पंजिबद्ध नहीं करें, उपरोक्त समस्त कृत्य ना तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 व 25 ता 41 न तो स्वयं करे ना ही अपने एजेन्ट, सर्वेन्ट या वर्कमैन, नोमिनी इत्यादि के जरिये करे या करावें अर्थात प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 21 व 25 ता 41 विवादित आराजीयात की वर्तमान मौका व राजस्व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखें।

वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण सं0 17 तथा प्रतिवादीगण सं0 27 ता 41 की और से अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अपना इकबालिया जबाब दावा प्रस्तुत किया।

प्रतिवादीया संख्या 17 ने इकबालिया जवाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके कस्बा चौमूं, पटवार हल्का चौमूं बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि विवादग्रस्त का यदि मन प्रतिवादीया जवाबदाता व अन्य सह–खातेदारान मालिक स्वामियों के कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये भूमि विवादग्रस्त का तकासमा किया जाकर पर्चा लगान पृथक से कायम कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थी की जाती हैं तो इसमें मन प्रतिवादीया जवाबदाता को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है। इसके लिये मन प्रतिवादीया जवाबदाता पूर्व में भी तैयार थी एवं वर्तमान में भी तैयार हैं।

अतः जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवदेन है कि वादीगण का वाद पत्र मन जवाबदाता प्रतिवादीया के जवाब दावे अनुसार स्वीकार किया जाकर भूमि विवादग्रस्त का यदि मन प्रतिवादीया जवाबदाता व अन्य सह–खातेदारान मालिक स्वामियों के कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये भूमि विवादग्रस्त का तकासमा किया जाकर पर्चा

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner

लगान पृथक से कायम कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थी की जाती हैं तो इसमें मन प्रतिवादीया जवाबदाता को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं हैं। इसके लिय मन प्रतिवादीया जवाबदाता पूर्व में भी तैयार थी एवं वर्तमान में भी तैयार हैं।

प्रतिवादीगण संख्या 27 ता 41 ने अपाना इकबालिया जबाब वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वाके कस्बा चौमूं, पटवार हल्का चौमूं बी, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित भूमि विवादग्रस्त का यदि मिन प्रतिवादीया जवाबदातागण व अन्य सह–खातेदारान मालिक स्वामियों के कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये भूमि विवादग्रस्त का तकासमा किया जाकर पर्चा लगान पृथक से कायम कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थी की जाती हैं तो इसमें मिन प्रतिवादीया जवाबदातागण को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं है। इसके लिये मिन प्रतिवादीया जवाबदातागण पूर्व में भी तैयार थी एवं वर्तमान में भी तैयार हैं।

अतः जवाब वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवदेन है कि वादीगण का वाद पत्र मन जवाबदाता प्रतिवादीगण के जवाब दावे अनुसार स्वीकार किया जाकर भूमि विवादग्रस्त का यदि मिन प्रतिवादीया जवाबदातागण व अन्य सह–खातेदारान मालिक स्वामियों के कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये भूमि विवादग्रस्त का तकासमा किया जाकर पर्चा लगान पृथक से कायम कर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्थी की जाती हैं तो इसमें मिन प्रतिवादीया जवाबदातागण को कोई आपत्ति एवं एतराज नहीं हैं। इसके लिय मिन प्रतिवादीया जवाबदातागण पूर्व में भी तैयार थी एवं वर्तमान में भी तैयार हैं।

उभय पक्षकारों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई। वाद पत्र जवाब दावा प्रस्तुत रिकार्ड व दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विवादित भूमि में प्रतिवादी सं. 1 सुवालाल पुत्र ज्ञानचन्द जाति कुमावत हिस्सा 682 वर्गमीटर का जरिये विक्रय पत्र दिनांक 25.04.2014 के द्वारा वादीगण को बेचान कर दिया गया हैं। इस प्रकार विवादित आराजीयात में प्रतिवादी सं. 1 का कोई हक हिस्सा निहित नही रहा हैं। प्रतिवादीगण सं. 17, 27 ता 41 ने अपने जवाब दावे में विवादित भूमि का अन्य सहखातेदारान मालिक स्वामियों के कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये विवादित भूमि का तकासमा किये जाने पर अपनी सहमति प्रदान की हैं।

अतः वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण दावा स्वीकार किया जाकर प्रा0 डिक्री किया जाता है तथा वाके ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं की जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता सं. 869 में दर्ज खातेदार सुवालाल पुत्र ज्ञानचन्द कौम कुमावत हिस्सा 682 वर्गमीटर के स्थान पर वादीगण सं. 1 ता 5 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तहसीलदार चौमूं को आदेश दिये जाते है कि विवादित भूमि आ0ख0न0 ।0न0 6915/7987, 6916, 6971/7988, 6717/7991, 6918, 6919/7989 कुल किता 6 का कुल रकबा 1.79 हैक्टेयर वाके ग्राम चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर का वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य उनके दर्ज हिस्से अनुसार कब्जे काश्त को प्राथमिकता देते हुये, रहवास एवं रास्ते को मध्यनजर रखते हुए तकासमा कर कुरेजात रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिये जाते हैं। प्रा. डिक्री जारी हो। प्रा. डिक्री की प्रति पालनार्थ तहसीलदार चौमू को भेजी जावें।

निर्णय आज तारीख 10.05.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अशोक कुमार योगी
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी चौमू ,जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
चौमू, जिला जयपुर

Scanned by CamScanner